न जारी हुए

6-11-2020

प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है, कि विवादित भूमि के 5 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा बिना किसी रोक टोक एंव बिना किसी बाधा के निरन्तर लगभग 40 सालो से नियमित रूप से शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त 5 बीघा भूमि के चारो तरफ कांटे की बाड लगाकर बाडाबंदी की गई इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आराजी के सुधार में काफी धन, श्रम लगाया और वर्तमान मे फसल भी बो रखी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, प्रार्थी इसी आराजी पर काश्त कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। प्रार्थी की कब्जेशुदा आराजी राजकीय राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय डांगेश्वर कोलोनी मसूदा के खेल मैदान हेतू आवंटित कर राजस्व अभिलेख एंव नक्शा में दर्ज कर दी गई अब उक्त आराजी पर चार दीवारी निर्माण करने हेतू प्रतिवादी आमादा है। अप्रार्थी ने बिना प्रार्थी को सुने ही तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही प्रार्थी की कब्जेशुदा आराजी को विद्यालय के नाम अवेध रूप से आवंटित कर दी गई जो भी निरस्तनीय है। प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टिया एंव सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु बनना पाया जाता है, अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि अप्रार्थी को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी की कब्जेशुदा आराजी से बेदखल नही करे तथा उसमें किसी भी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण नही करे। एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैराकार सरकार उपस्थित जिन्होने जवाब ना पेश कर कथन किया गया है, कि उक्त भूमि को सरकार के नोटिफिकेशन के तहत राजकीय विद्यालय के नाम आंवटित कर दी गई है, और प्रार्थी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा उपयोग उपभोग नही है। केवलमात्र सरकार को हानी पहुचाने की नियत से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार खसरा नंबर 4724/4228 रकबा [illegible] आरक्षित किया जाना अंकित पाया गया। जबकि [illegible] अपने कब्जे बाबत भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत [illegible] विवादित भूमियो कि किस्म गै0मु0पहाडी [illegible] प्रार्थी के हक में कोई प्रथमदृष्टि[illegible] का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु होना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधि0 अप्रार्थीगण के विरूद्ध खारीज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना अपन वहन करे।

अतः आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 15:56:16 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी